मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक 257 /376/2021/10-1 भोपाल, दिनांक 02/02/2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय- शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रवास के दौरान म0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल/मोटल में ठहरने की व्यवस्था बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत पर्यटन विभाग से प्राप्त पत्र कमांक 412 दिनांक 20.01.2021 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
म0 प्र0 शासन, वन विभाग

APCCF (Coord) F/B

प्र.मु.व.सं. (वन बल प्रमुख)
3/2/2021

स्थापना

APCCF (Fin./Budget)
Satpura Bhawan, Bhopal
04/02/21

704

00988
03-2-21

753
5/2/2021

E:\Dropati madam\Letter.docx

.शव शेखर शुक्ला, आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यटन विभाग

कक्ष क्र. एफ-036, भू-तल
वल्लभ भवन III, मंत्रालय
भोपाल - 462004 (म.प्र.)
फोन : +91-755-2708517
ई-मेल : pstourism@mp.gov.in

376
25-1-2021

क्र. 412 /प.स./पविनि/2021 भोपाल, दिनांक 20/01/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय- शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल/ मोटल मे ठहरने की व्यवस्था बावत।

प्रासंगिक विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा पूर्व में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.आर.17-05/96/ब-9/चार दिनांक 02/07/1996 में दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जिन स्थानों पर मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल्स अवस्थित है, उन स्थानों पर शासकीय अधिकारीयों/ कर्मचारियों को प्रवास के दौरान केवल निगम होटल्स में ठहरने की पात्रता होगी। निगम के होटल्स में कक्ष उपलब्ध न होने की दशा में निजी होटल्स में ठहरने की पात्रता इस शर्त के साथ होगी कि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के यात्रा देयकों के साथ निगम का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अवगत हों कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में होटलों का संचालन शासन द्वारा जारी कोविड-19 की सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए किया जा रहा है तथा पर्यटन विकास निगम उत्तम स्तर की आवास व्यवस्था/ भोजन एवं उच्च कोटि की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए कृतसंकल्पित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया शासन के आदेशों की प्रति आपके अधीनस्थों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अधिक से अधिक अधिकारी/ कर्मचारी इन आदेशों से अवगत होकर निगम के होटलों में ठहरने का लाभ ले सकें।

आशा है इस संबंध में आपका पूर्ण सहयोग निगम को प्राप्त होगा।

प्रमुख सचिव